FROM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी, मुकाम राजगढ

नेथ्या बनाम थापा वगै.

मा.. नं........................ सन्..

प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.10.18 आज यह प्रा. पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 1511/0.17, 1512/0.25, 1627/0.10, 1628/0.32, 1628/2157/0.05, 1638/0.20, 1640/0.20, 1641/0.26, 1642/0.30, 1643/0.13 है. वाके ग्राम स्यालूता तह. राजगढ मे स्थित है से प्रार्थी को जबरन बेदखल न करें। कार्य काश्त प्रार्थी मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ मे शपथ पत्र पेश किया गया। बहस वकील प्रार्थी एक पक्ष मे सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत रिकार्ड पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 4.12.18 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल न करें कार्य काश्त प्रार्थी मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ मे नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध मे कोई एतराज हो तो दिनांक 4.12.18 को उपस्थित होकर पेश करें। दर्ज हो। उप खण्ड अधिकारी, राजगढ उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर) [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03-09-25 पत्रावली इक भाई तारीख से पेश हुई। मूलवाद ORS non-compliance के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	